line are available for the year 1993-94. The poverty lines in 1993-94 are monthly per capita expenditure of Rs. 228.9 in rural areas and Rs. 264.1 in urban areas.

(c) Does not arise.

गुजरात में स्थित उद्योगों के लिये स्टीम कोयले का आंवटन

1319.**श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में स्थित उद्योगों के लिए कितनी मात्रा में स्ट्रीम कोयले का आंवटन किया गया है और वर्ष 1995-96 के दौरान राज्य में जिला-वार कोयले की कुल कितनी मांग है,

(ख) क्या गुजरात में उद्योगों के लिए मांगे गए स्टीम कोयले की आपूर्ति उसी अवधि के दौरान कर दी गई थी, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और इस संबंध में क्या कदम उठाये जाएंगे ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) से (ग) सम्पूर्ण देश के लिए कोयले की मांग का मूल्यांकन राज्यवार नहीं किया जाता है बल्कि इसका मूल्यांकन क्षेत्रवार किया जाता है। कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति राज्य में सम्बद्ध प्रायोजन प्राधिकारियों द्वारा जारी प्राथमिकता के अनुसार उन्हें प्रस्तुत किया गए कार्यक्रम के आधार पर करती है।

को.इं.लि. से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल-अक्तूबर, 1995 की अवधि के दौरान गुजरात के विभिन्न उपभोक्तओं को इस्पात कोयले का औसत प्रायोजन मात्रा 1.40 लाख टन रही। अप्रैल-अक्तूबर, 1995 की अवधि के दौरान गुजरात में उपभोक्ताओं द्वारा इस्पात कोयले के प्रस्तुत काग्रक्रम तथा उन्हें अंनतिम रूप मे की गई आपूर्ति को नीचे दर्शाया गया है:-

प्रस्तुत कार्यक्रम	6.66 लाख टन
वास्तविक आपूर्ति	3.48 आपूर्ति

कार्यक्रम के अंतर्गत कम अधिप्राप्ति मुख्यत: रेलवे द्वारा कम वैगनों की आपूर्ति किए जाने के कारण हुई है। रेलवे गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के उद्योगों को रेल द्वारा कोयले का संचलन किए जाने हेतु वैगनों की आपूर्ति किए जाने के संबध में कम प्राथमिकता देता है, चूंकि महत्पूर्ण क्षेत्र के उपभोक्तओं को उच्च प्राथमिकता दिया जाना अपेक्षित है।

कोल इंडिया लि. उपभोक्ताओं को रेल से कोयले के संचलन में हुई कमी को पूरा करने हेतु सड़क द्वारा कोयले का संचलन किए जाने का उपभोक्ताओं को विकल्प देती है। इसके अलावा, अनेक कोलियरियों से उदारीकृत योजना के अंतर्गत कोयले की आपूर्ति प्राप्त किए जाने की पेशकश की जाती है। कोयले की आपूर्ति इस योजना के अंतर्गत थोक व्यापारियों तथा छोटे व्यापारियों को भी की जाती है, जोकि छोटे और मध्यम दर्जे के उपभोक्ताओं की मांगों को पूरा करते हैं।

Responsibility of Collectors for delay in MPLADS

1320. SHRIMATI BASANTI SARMA: DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICKHKAR:

Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether Government would evolve a mechanism of fixing responsibility and penalising the Collectors for the inordinate -delay in the matter of MPLADS;

(b) if so, what is the mechanism which Government would like to develop; and

(c) what role that MPs can play in the fast implementation of projects?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI BALRAM SINGH YADAVA): (a) and (b) As per the guidelines on MPLADS, the Collectors as well as the implementing agencies are responsible for the successful implementation of the works, which are taken up under MPLADS. The Collectors are also responsible for the coordination and overall supervision of the works under the scheme at the district level. Since the District Collectors are officers, who belong to the cadre of Indian

Administrative Service disciplinary action against them in cases where they are *prima facie* guilty of negligence, inordinate delay etc., can be initiated only in accordinate with the provisions of the All India Services (Discipline and Appeal) Rules 1969. Whenever a specific complaint is received against the Collector, the Chief Secretary of the concerned State is requested to enquire into the matter and take suitable action. The mechanism already exists.

(c) In the interest of expeditious progress of works, it is suggested that the MPs may recommend the works to the respective Collectors as early as possible and not amend them thereafter. It is noticed especially after plans and estimates are prepared by the implementing agencies, that the costs of works proposed by the MPs turn out to be higher than those originally estimated. It is suggested that under such circumstances, the MPs can hold discussions with the respective Collector and reprioritise the works with a view to ensuring their expeditious progress.

राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के भंडार

1321. **श्री सुंदर सिंह भंडारी :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान के किन-किन जिलों में लिग्नाइट कोयले के प्रचुर भंडारों का पता चला है, और

(ख) इनके खनन और उपयोग के लिए कौन-कौन सी योजना विचाराधीन है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) राजस्थान के बीकानेर, नागौर तथा बाड़मेर जिलों में लिग्नाइट के बहुत बड़े भंडार पाए गए हैं।

(ख) राजस्थान सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार लिग्नाइट खनन का एक पट्टा राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम को हाल ही में बाड़मेर जिले में शिराल क्षेत्र में दिया गया है तथा खनन कार्य आंरभ हो गया है।

नागौर जिले में कासनाऊ के समीप एक क्षेत्र के लिए खनन पट्टा राजस्थान राज्य खान एंव खनिज लि. को दिया गया है।

बीकानेर जिले में बारसिंगसर, पलाना, गुरहा तथा बिथनोक भंडारों के आधार पर राज्य सरकार ने 2x240 मे.वा. लिग्नाइट खनन तथा विद्युत उत्पादन परियोजना के लिए प्रतियोगितात्मक निविदांए आमंत्रित की है । आई.पी.पी. का चयन किए जाने के पश्चात लिग्नाइट खानों को पट्टे पर दिया जा सकता है।

बाड़मेर जिले में कपूरडीह तथा जालिया भंडारों को विद्युत संयंत्रों के लिए आरक्षित किया गया है।

Ban on Export of Cattle

1322. SHRI JANARDAN YADAV: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government have banned the export of cattle from India to Bangladesh;

(b) if so, what are the details in this regard;

(c) whether it is a fact that there has been continuous smuggling of meat, milch and farm animals from India to Bangladesh;

(d) if so, the number of value of Indian heads of cattle which have been smuggled from India to Bangladesh during the last three years; and

(e) what steps Government have taken or propose, to take to check the illegal trade of cattle from India to Bangladesh?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) Export of cattle is restricted and is permitted only under licence.

(c) and (d) Available reports do indicate that there is some smuggling of cattle from India to Bangladesh. Updated details on the quantity and value of-Indian cattle seized by Border Security Force (BSF) on the border are as follows:—

Year	Vo. of heads seized	Value (Rs. lakh)
1993	32886	489
1994	31086	843
1995 (upto 31st Oct.)	26675	853